भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 2035
दिनांक 04.07.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता

2035. श्री बालूभाऊ उर्फ सुरेश नारायण धनोरकर:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र के खनन क्षेत्रों, विशेषकर चंद्रपुर, में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) और (ख) जी हां। महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार चंद्रपुर जिले में खनन क्षेत्रों सहित 1721 बसावटें हैं। जिनमें से 674 बसावटें खनन क्षेत्र में हैं और प्रत्येक में स्थल (स्पॉट) स्रोतों द्वारा सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया गया है। वर्तमान में 1007 नल जलापूर्ति स्कीमों, 265 सौर ऊर्जा आधारित दोहरे पंप वाली स्कीमों, 78 ऊर्जा पंप स्कीमों, 7074 सार्वजनिक कुंओं और 9750 हैंड पंपों द्वारा जिले के निवासियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जल गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 495 जल शोधन यंत्र (प्यूरीफायर्स) [डीफ्लोरीडेशन इकाई (डीएफयू) और रिवर्स ऑस्मॉसिस (आरओ) इकाई] संस्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, विभिन्न कार्यक्रमों के तहत 362 स्कीमें (नल जलापूर्ति स्कीमें, जल प्यूरीफायर्स और सौर ऊर्जा आधारित दोहरे पंप वाली स्कीमें) प्रस्तावित हैं।